

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

लगान रसीद

Sch XIV F. No. 180V

25.12.13
2013-14
2013-14

JH A 005658
19/11/13

खिला का नाम
अनुमण्डल का नाम
अंचल का नाम
मौजा
धाना यो थाना नम्बर

रसीद क्रमांक
रेवत का नाम
पिपरा का नाम
जमावन्दी नम्बर

खाला संख्या 634	खेसरा संख्या 551	रकबा (एकड़ में) 0.071
--------------------	---------------------	--------------------------

जोत की सालाना मांग एवं मांग को विवरण (अग्रिम एवं हाल) चालू वर्ष का

मांग	वार्षिक	वर्ष			हाल (2016-17)
		3 वर्ष से ज्यादा	2 रा वर्ष	विगत वर्ष	
लगान	1.00				
सेस	50				
*व्याज	50				
विविध	50				
योग	250				

अदायगी	अकाया			अग्रिम
	3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	विगत वर्ष	
लगान				
सेस				
*व्याज				
विविध				
योग				

1. कुल योग (शब्दों में)
2. नाम अदकती
3. कुल अकाया

250
None
None

2016-17
2016-17
2016-17
2016-17
2016-17

(हलकी करीब 4/11/13)
हस्ताक्षर एवं दिनांक

SPL/2015

रसीद

KODERMA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किन्हे श्रेय सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 498089271119035701
Date : 27-11-2019
प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री RENU LATA C/O SUBHASH CHANDRA,
मोहल्ला GIRIDIH ROAD KODERMA KODERMA , 8873802008
KODERMA , 825410

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0070000252000M0 वार्ड सं. 7 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	35.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		35.00



नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, KODERMA NAGAR PANCHAYAT Website, www.jharkhandsuda.net पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
3. हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
4. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
5. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
6. किसी देय धृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
7. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
8. KODERMA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/दांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / देखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
9. अगर आपके नये होल्डिंग नंओं का माखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

To be signed by the Applicant

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

रघु पात्र



राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

Home

Download Mobile App Official Login

पंजी 11 विवरण

Go Back

विवरण

अन वर्तमान	:	46	पुंड संख्या	:	41
जिला का नाम	:	कोडरमा	अनुबंधन नाम	:	कोडरमा
अखत का नाम	:	कोडरमा सदर	इलाका का नाम	:	इलाका-04
मीजा का नाम	:	कोडरमा	सेलिंग संख्या	:	634
धाना नाम	:	कोडरमा सदर	धाना नंबर	:	393
तीजी संख्या	:	0	इस्टेट का नाम	:	एगारवाण्ड

रैयत का नाम : अम सं. रैयत का नाम जगति रियासी

1. श्रीमती रेनुका देवी पति - श्री गुणधर

बकाया राशि का विवरण

कुल बकाया राशि	:	0.72
से वर्ष	:	2017-2018 तक वर्ष : 2019-2020
कुल वर्ष	:	3

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	लगान	रोड सेस	विकास सेस	स्वास्थ्य सेस	कृषि सेस	कुल
1	2017-2018	0.10	0.02	0.05	0.05	0.02	0.24
2	2018-2019	0.10	0.02	0.05	0.05	0.02	0.24
3	2019-2020	0.10	0.02	0.05	0.05	0.02	0.24

*NOTE: यदि एक भाग भुगतान हो चुका है, किंतु लगान रसीद नहीं मिल पाया है तो पिछले भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने के लिए "संबिल लगान देवं" बटन का उपयोग करें। कृपया पिछले भुगतान की स्थिति स्पष्ट होने से पहले पुनः भुगतान ना करें।

रजिस्टर-II विवरण

पिछली भुगतान देवं

पुनः पाठ करें

रेनुका